(1)

(2024/75)

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **अति० जिला कलक्टर अलवर (प्रथम)** मुकाम **अलवर**

उनवान अली जान वगै०

बनाम

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ वगै०

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र विविध नम्बर** 17/01.../2024 दा०दि० 7/02/2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-2-24	आज यह पत्रावली प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 21 नियम 58 सीपीसी हमारे समक्ष पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रा०पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रा०पत्र में यह कथन अंकित किया है कि एमएसीटी कोर्ट रूपगनर पंजाब ने प्रार्थी के विरूद्ध एक्स पार्टी आदेश दिनांक 01.11.2017 पारित किया है, जो लाईसेन्स नंबर आर.जे. 02/2004/82228 के स्थान पर लाईसेन्स नंबर आर.जे. 02/2004/82226 अंकित करते हुए पारित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने न्यायिक प्रक्रिया में सहवन टंकन त्रुटि के कारण स्वंय को नुकसान होना बतलाया है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट रामगढ़ के द्वारा प्रसारित नीलामी इश्तहार दिनांक 16.01.2024 को रूकवाये जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली एवं रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय एमएसीटी न्यायालय रूपनगर, पंजाब के द्वारा एमवी एक्ट की धारा 174 के तहत जारी वसूली प्रपत्र के तहत कार्यवाही की जा रही है। जिसे प्रार्थी अप्रत्यक्ष रूप से इस न्यायालय द्वारा स्थगित कराना चाह रहा है, जो आदेश 21 नियम 58 के दायरे से बाहर है। प्रार्थी लाईसेन्स के नंबर की त्रुटि से स्वंय को नुकसान कारित होना बता रहा है, जिसका श्रवण योग्य	

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

क्षेत्राधिकार माननीय एमएसीटी न्यायालय रूपनगर, पंजाब को है। इस के अलावा आदेश 21 में अंतरिती (Transferee) न्यायालय मूल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से बाहर नहीं जा सकता। प्रार्थी लाईसेन्स में टंकन त्रुटि को ठीक करवाना चाहता है या कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह मूल न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र आदेश 21 नियम 58 सीपीसी व सपठित धारा 151 ग्राहता की स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बार तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7-2-24

(मुरारी लाल शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)